केंद्रीय विद्यालयों

के लिए

राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना

नियम और विनियम

संसदीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
2015

केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना

1. युवा संसद योजना का उद्देश्य

प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने, अनुशासन की स्वस्थ आदतें, दूसरों के विचारों के प्रति सहनशीलता को आत्मसात कराने तथा विद्यार्थी वर्ग को संसद के कार्यचालन की कुछ जानकारी कराने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्रालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के परामर्श से पूरे देश के केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की योजना प्रारम्भ करने तथा केंद्रीय विद्यालयों में प्रतिवर्ष 'युवा संसद प्रतियोगिता' आयोजित करने का निर्णय लिया है।

2. प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए पात्रता

यह योजना देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों पर लागू होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों का चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जाएगा और उसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों की संख्या के बारे में निर्णय संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से लिया जाएगा।

3. समयावधि जिसके दौरान प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी

प्रतियोगिता प्रतिवर्ष उस समयावधि के दौरान आयोजित की जाएगी जिसे संगठन तथा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सुविधाजनक समझा जाएगा।

4. युवा संसद की बैठक की अवधि

'युवा संसद' की बैठक की अवधि एक घण्टे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें से 10-12 मिनट प्रश्नों पर लगाए जाएं और शेष समय का उपयोग विधेयकों, प्रस्तावों अथवा संकल्पों आदि पर चर्चा सहित कुछ अन्य मदों के लिए किया जाए।

5. युवा संसद में चर्चा के लिए विषय

यह वांछनीय होगा कि युवा संसद में उठाए गए विषय कल्याणकारी गतिविधियों, देश की रक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, साम्प्रदायिक सद्भावना,

स्वास्थ्य, विद्यार्थी अनुशासन आदि से सम्बन्धित हों। भाषणों में राजनीतिक दलों अथवा नेताओं/व्यक्तियों आदि पर आक्षेप करने वाली प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष टिप्पणियां नहीं की जाएं।

6. <u>भाषा</u>

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अपनी इच्छानुसार हिंदी अथवा अंग्रेजी में बोल सकते हैं।

7. <u>स्थान</u>

प्रत्येक संस्थान साधारणतया युवा संसद की बैठक अपने ही परिसर में आयोजित करेगा।

8. <u>योजना की रूपरेखा</u>

प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित की जाएगी - पहली क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरी आंचलिक स्तर पर।

क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता संबंधित क्षेत्रों के ऐसे विद्यालयों के बीच होगी जिन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रतियोगिता के लिए उस क्षेत्र से प्रयोजित किया जाएगा। यह केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्राधिकारियों की देख-रेख में आयोजित की जाएगी। आंचलिक स्तर पर प्रतियोगिता उन केंद्रीय विद्यालयों के बीच होगी जो क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। आंचलिक स्तर की प्रतियोगिताएं 2 दिनों की अवधि तक अलग स्थानों पर आयोजित की जाएंगी।

आंचलिक स्तर पर निर्णायकों की एक टीम, जिसमें एक सांसद/पूर्व सांसद, केंद्रीय विद्यालय संगठन और संसदीय कार्य मंत्रालय के एक-एक अधिकारी होंगे, द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर समीक्षा समिति द्वारा आंचलिक और राष्ट्रीय विजेताओं की घोषणा करने के लिए एक योग्यता सूची बनाई जाएगी।

प्रतियोगिता के प्रयोजन के लिए क्षेत्र वही होंगे जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा समय-समय पर गठित किए जाएंगे। 5 अंचल होंगे जिनमें नीचे दर्शाए अनुसार क्षेत्र शामिल होंगे:-

अंचल		उत्तरी	दक्षिणी	पूर्वी	पश्चिमी	केंद्रीय
क्षेत्र	1.	दिल्ली	चेन्नई	कोलकाता	मुंबई	लखनऊ
	2.	चंडीगढ़	हैदराबाद	गुवाहाटी	अहमदाबाद	पटना
	3.	देहरादून	बेंगलूरू	सिल्चर	जयपुर	भोपाल
	4.	गुरूग्राम	एरनाकूलम	तिनसुकिया	आगरा	वाराणसी
	5.	जम्मू	जबलपुर	भुवनेश्वर	रांची	रायपुर

9. अभिविन्यास पाठ्यक्रम

भाग लेने वाले विद्यालयों में "युवा संसद" आयोजित करने वाले प्रभारी अध्यापकों को योजना की संकल्पना और पृष्ठभूमि से परिचित कराने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से अभिविन्यास पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) का आयोजन करेगा। अभिविन्यास पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की तारीख (तारीखें) तथा स्थान (स्थानों) का निर्णय केंद्रीय विद्यालय संगठन के परामर्श से लिया जाएगा।

10. निर्णायकों की समिति

क्षेत्रीय और आंचलिक स्तर पर प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन निर्णायकों की तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा।

(क) क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगी विद्यालयों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए निर्णायकों की समिति का गठन संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जाएगा और उसके सदस्य निम्नलिखित होंगे :-

1. सांसद/पूर्व सांसद/विधायक/पार्षद/पूर्व विधायक/पूर्व पार्षद,
2. संबंधित क्षेत्र से केन्द्रीय विद्यालय संगठन का एक अधिकारी,
3. उस क्षेत्र के किसी भाग न लेने वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य या कोई प्रतिष्ठित स्थानीय शिक्षाविद।

(ख) आंचलिक/राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के मूल्यांकन के लिए निर्णायकों की समिति का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और उसके सदस्य निम्नलिखित होंगे :-

1. सांसद/पूर्व सांसद;
2. संसदीय कार्य मंत्रालय का एक अधिकारी; और
3. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) का एक अधिकारी।

11. <u>यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता</u>

आंचलिक/राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के मूल्यांकन के लिए सहयोजित किए जाने वाले संसद सदस्यों/पूर्व संसद सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा उस दिन के दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा। संसद सदस्यों को उसी दर पर जो समय-समय पर यथा संशोधित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन उन पर लागू होती है तथा पूर्व संसद सदस्यों को संसद सदस्यों पर लागू दर का 50% अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियत दर जो भी अधिक हो।

इस गतिविधि से संबंधित अन्य अधिकारी अपना यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अपने संगठनों से अपनी हकदारी के अनुसार प्राप्त करेंगे।

12. <u>योग्यता सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड</u>

संस्थाओं के निष्पादन का मूल्यांकन करते समय निर्णायकों की समिति निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखेगी :-

		अंक
(i)	अनुशासन एवं मर्यादा	10
(ii)	संसदीय प्रक्रियाओं का पालन	20
(iii)	प्रश्नों एवं अनुपूरक प्रश्न के लिए विषयों का चयन और उनके उत्तरों की गुणवत्ता	20
(iv)	वाद-विवाद के लिए विषयों का चयन	10
(v)	दिए गए भाषणों की गुणवत्ता, वाद-विवाद का स्तर	30
(vi)	सम्पूर्ण निष्पादन का सामान्य मूल्यांकन	10

		100
		---

13. <u>शील्ड/ट्रॉफियां</u>

निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:-

(क) चल वैजयन्ती (रनिंग शील्ड)

राष्टीय स्तर पर प्रथम आने वाले विद्यालय को "नेहरू चल वैजयन्ती" प्रदान की जाएगी। यदि कोई विशिष्ट विद्यालय लगातार तीन वर्ष तक शील्ड को जीतता रहे तो वह शील्ड उस विद्यालय के पास स्थायी रूप से रह जाएगी।

(ख) <u>ट्रॉफियां</u>

i. प्रतियोगिता में **राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम घोषित किए जाने वाले विद्यालय** को **राष्ट्रीय विजेता** के रूप में एक अन्य योग्यता ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।

ii. अपने-अपने अंचल में आंचलिक स्तर पर प्रथम आने वाले प्रत्येक विद्यालय को एक-एक **आंचलिक विजेता ट्रॉफी** प्रदान की जाएगी (उस अंचल को छोड़कर जिससे राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आने वाला विद्यालय संबंध रखता हो)।

iii. क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपने-अपने क्षेत्र में प्रथम आने वाले प्रत्येक विद्यालय को एक-एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी (उस क्षेत्र को छोड़कर जिससे आंचलिक स्तर पर प्रथम आने वाला विद्यालय संबंध रखता हो)।

यह ट्राफियां विजेता विद्यालयों द्वारा अपने पास ही रख ली जाएंगी।

(ग) <u>पुरस्कार और प्रमाण पत्र</u>

(i) विद्यार्थी, जो भाग लेने वाले विद्यालय की टीम के सदस्य हैं, को निम्न प्रकार से व्यक्तिगत पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे:-

प्रतियोगिता के क्षेत्रीय स्तर पर, प्रत्येक भाग लेने वाले विद्यालय के प्रभारी अध्यापक को प्रमाणपत्र के अतिरिक्त विद्यालय की टीम के सदस्यों में से अधिकतम 6 (छः) विद्यार्थियों का निम्न प्रकार से

व्यक्तिगत पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए चयन किया जाएगा:-

(क)	पहला पुरस्कार	- **एक**
(ख)	दूसरा पुरस्कार	- **एक**
(ग)	तीसरा पुरसकार	- **एक**
(घ)	विशेष पुरस्कार	- **तीन**

(ii) प्रतियोगिता के राष्ट्रीय/आंचलिक स्तर पर, प्रत्येक भाग लेने वाले विद्यालय की टीम के सदस्यों में से पहले से चौथा स्थान पाने वाले अधिकतम 8 (आठ) विद्यार्थियों का व्यक्तिगत पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए चयन किया जाएगा।

(iii) प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यालय की टीम के प्रभारी अध्यापक को एक पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

(iv) प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

(v) अभिविन्यास पाठ्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजन स्थल के प्रधानाचार्य को एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

(vi) राष्ट्रीय/आंचलिक और क्षेत्रीय स्तरों पर प्रथम आने वाले विद्यालयों को भी एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

(vii) पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को भी पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

(घ) <u>क्षेत्रीय स्तर के व्यक्तिगत पुरस्कारों और प्रमाणपत्रों का वितरण</u>

(i) पुरस्कार: क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के लिए दिए गए पुरस्कारों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त किया जाएगा तथा क्षेत्रीय स्तर पर निष्पादन के मूल्यांकन के समय ही वितरित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय संगठन को इस संबंध में वहन किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति

करेगा। इन व्यक्तिगत पुरस्कारों की खरीद पर किए जाने वाले खर्च की आर्थिक सीमा तथा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के परामर्श से मंत्रालय द्वारा समय-समय जारी शर्तों के अनुसार होगी।

(ii) प्रमाणपत्र: क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के संबंध में प्रभारी अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे। इस कार्य के लिए, क्षेत्रीय स्तर के निष्पादनों के मूल्यांकन के तत्काल पश्चात, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यालय के प्रभारी अध्यापक के नाम के साथ-साथ पुरस्कार विजेताओं की एक सूची संसदीय कार्य मंत्रालय को सीधे अग्रेषित करेगा। मंत्रालय प्रमाणपत्र तैयार करेगा और उन्हें भाग लेने वाले विद्यालयों के प्रभारी अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को ठीक से वितरित करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को सीधे ही भेज देगा।

(ड.) <u>विद्यार्थियों को राष्ट्रीय/आंचलिक स्तर के पुरस्कारों/प्रमाणपत्रों तथा विद्यालयों को राष्ट्रीय/आंचलिक/क्षेत्रीय शील्ड/ट्रॉफियों का वितरण तथा राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार विजेता विद्यालय द्वारा अभिनय का पुन: प्रदर्शन</u>

प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ निर्णीत केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले पुरस्कार वितरण समारोह में अति विशिष्ट व्यक्तियों के सामने अपनी युवा संसद की बैठक का पुन: प्रदर्शन करेगा। राष्ट्रीय/आंचलिक/क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम आने वाले विद्यालयों को चल वैजयन्ती/ट्रॉफियां संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस समारोह में प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय/आंचलिक स्तर पर प्रथम आने वाले विद्यालयों के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को भी इस समारोह में मेडल/प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय इस समारोह की तारीख एवं स्थान का निर्धारण करेगा। पुरस्कारों का वितरण एक उच्च पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी.आई.पी.) और अन्य व्यक्तियों को निमन्त्रण पत्र संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे जो कि इस समारोह का सम्पूर्ण व्यय उठाएगा अर्थात् :-

निम्नलिखित मदों पर खर्चा :

i. हाल/ शामियाने का किराया
ii. बिजली एवं बैठने की व्यवस्था
iii. निमंत्रण पत्रों की छपाई
iv. डाक खर्च एवं लेखन सामग्री
v. जलपान; और
vi. अन्य फुटकर खर्च

<u>केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सहायता</u>

केंद्रीय विद्यालय संगठन निम्नलिखित आवश्यक सहायता प्रदान करेगा जैसे कि:-

(i) अभिविन्यास पाठ्यक्रम के आयोजन के लिए उपयुक्त आडिटोरियम आदि उपलब्ध कराने में सहायता और भाग लेने वाले प्रतिभागियों और अधिकारियों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था;

(ii) समारोह का आयोजन करने में सभी संभव सहायता; और

(iii) उन संसद सदस्यों/पूर्व संसद सदस्यों/अधिकारियों के लिए आवास/भोजन/परिवहन आदि की व्यवस्था करना जो निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए जाएंगे।